

2

2018/00010

गिरा
8/2/18

न्यायालय लखनऊ (राजस्व) लखनऊ, जिला लखनऊ
सरकार वनाम श्री गिरधारी शर्मा 510 हस्तानुगत ग. ल

निकल मुकदमा - आर.सी.ए. 1954 की धारा 22
एल. आर. एक्ट 1955 की धारा 9
नुकदमा नम्बर 02/18 वर्ष 2018 फसल 2018

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की जालिम
22/1/18	पटवारी हल्का 30/8 की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीव की गई। मुताबिक मोर्टे अप्रार्थी ने ग्राम/चक 212/114 के खसरा नं./मु.नं. 168	
8/2/18	तादादी 0-10 बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत 2074 में नाजायज कब्जा कर कोशत कर ली। अप्रार्थी को धारा 22/31 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं मू अभिलेख निरीक्षण को फसल कट कर हेतु लिख जन्ते। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/2/18 को पेश हो।	गे. प्र. प. प. प. प. 01 22-18
8/2/18	पत्रावली के अंतर्गत लखनऊ के लखनऊ जिले के लखनऊ जिले के लखनऊ जिले के लखनऊ जिले के लखनऊ जिले के लखनऊ जिले के लखनऊ जिले	गिरधारी शर्मा लखनऊ के लखनऊ 109 के क. ल. 0297 मांग कपय श्री श्री लखनऊ 12/4/18

6120

न्यायालय, तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या: 02 / 2018


दिनांक: 8/2/18.

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का 977 ने रिपोर्ट (पी-4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल साकिन गिरधारी राम पुत्र एस.जी.राम जाति म.ल. के खसरा नं० 168 रकबा 58 ने ग्राम 16726 के बीघा जोहड़ पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त/बाड़ा/कच्चा/पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बन्धित गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। सम्बन्धित गैरसायल उपरिथत। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बन्धित गैर सायल गिरधारी राम पुत्र श्री एस.जी.राम जाति म.ल. साकिन 58 ग्राम 16726 खसरा नं० 168 रकबा 0:10 बीघा के अतिचार करने पर राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व 0:2646 का 50 गुणा रूपये 13/- शास्ति से दण्डित किया जाता हैं। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बाबत सम्बन्धित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बाबत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/2018 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।


तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर